



बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, 2224529 फैक्स नं०- 2224529

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या-64/2015

1 निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात डाउन लोड करने की प्रारम्भिक तिथि एवं समय 14-09-2015 के अपराह्न 11.00 बजे से। 3. निविदा कागजात डाउन लोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय 16-09-2015 को अपराह्न 17.00 बजे तक 4. निविदा अप लोड करने की तिथि एवं समय: 18-09-2015 को अपराह्न 15.00 बजे तक। 5. निविदा की तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : 21-09-2015 को 15.30 बजे अपराह्न। 6. निविदा खोलने का स्थान-बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर। 7. निर्माण कार्य का व्योरा :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख ₹ में)	अग्रधन की राशि ₹ में	परिमाण विपत्र का मूल्य ₹ में	निविदा प्रसंस्करण शुल्क ₹ में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	बेगूसराय जिलान्तर्गत नीमाचौदपुर थाना में ग्रेड-III थाना भवन, 6 लोअर सबीडिनेट आवास एवं 4 अपर सबीडिनेट आवास का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	321.84	644000	10000	17100	12 माह
2.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र मुजफ्फरपुर में रेलवे पुलिस हेतु कार्यालय-सह-बैरक का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	337.00	674000	10000	17100	9 माह
3.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पुलिस लाईन में 16 शय्या वाले अस्पताल का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य (पुनर्निविदा)	108.00	216000	10000	5700	6 माह
8.	<p>10 लाख से ऊपर की निविदा ई-टेंडरिंग पद्धति से प्राप्त की जायेगी। इस निविदा की अन्य विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के वेबसाईट www.bpbcc.co.in / बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in तथा निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर दिनांक-14-09-2015 के 11.00 बजे अपराह्न से प्राप्त की जा सकती है।</p> <p>9. उपरोक्त वर्णित कार्य की 2 करोड़ से ऊपर की निविदा S.B.D. के प्राक्धानों के अंतर्गत प्राप्त की जायेगी, जो निविदा 40 लाख से ऊपर की है वह द्वि-वीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं 40 लाख से नीचे की निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी। परिमाण विपत्र की निर्धारित राशि के अतिरिक्त 300 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 15,000/- + 14.00 प्रतिशत सेवा कर के रूप में, 70 लाख से ऊपर के कार्य के लिए ₹ 5,000/- + 14.00 प्रतिशत सेवा कर के रूप में तथा 70 लाख से नीचे के कार्य के लिए ₹ 1,000/- + 14.00 प्रतिशत परिमाण विपत्र के मूल्य के साथ ही शामिल कर लिया गया है जो वापस नहीं होगा। निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Bid Processing fee) मात्र ऑन लाईन मोड यथा क्रेडिट/ डेबिट कार्ड, नेट-बैंकिंग, NEFT/RTGS से बेवसाईट www.eproc.bihar.gov.in का उपयोग करते हुए यथा निविदा सूचना में प्रकाशित तिथि एवं समय के पूर्व भुगतान करना अनिवार्य है। निगम विलम्ब/ निविदा अपलोड नहीं करने, ईटरनेट कनेक्शन की अनुपलब्धता, नेटवर्क यातायात/छुट्टियाँ या अन्य कारणों के लिए जवाबदेह नहीं होगा।</p> <p>शेष परिमाण विपत्र का मूल्य शेषयुक्त बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के नाम से हो तथा पटना में भुगतये दिनांक- 16-09-2015 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा। प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो निविदा के सामने उपर अंकित है, को लौटाना नहीं जायेगा।</p> <p>अग्रधन की राशि/ बैंक ड्राफ्ट मूल कागजात के साथ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्यालय कार्यालय में दिनांक- 18-09-2015 तक का बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा। ई.निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रूप में निगम कार्यालय में दिनांक 21-09-2015 के अपराह्न 3.00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा, शेष किसी कागजात को स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p> <p>10. बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समुचित कोटि के निर्बंधित संवेदक एवं अन्य सरकारी विभाग के निर्बंधित सम्वेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निर्बंधन कराना आवश्यक होगा।</p> <p>11. विद्युतीकरण कार्य एवं विद्युतीकरण कार्य सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का वैध लाईसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा। विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा सब कॉन्ट्रैक्टर का शपथ-पत्र संलग्न करना एवं वैध लाईसेंस संलग्न करना अनिवार्य होगा।</p> <p>12. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता की निविदा अमान्य मानी जायेगी। परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee के रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि एकरारनामा से पूर्व लिया जायेगा।</p> <p>13. सभी गैर-अनुसूचित मर्दों का दर (शून्य या अस्पष्ट दर नहीं भरना है) संवेदक द्वारा यथोचित स्थान पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में वित्तीय वीड अमान्य मानी जायेगी।</p> <p>14. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी।</p> <p>15. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :- (i) डिबार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों।</p> <p>16. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी। समुचित अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी। अग्रधन की राशि छः/पाँच वर्षीय बचत प्रमाण-पत्र/बैंक ड्राफ्ट अथवा, किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो मान्य होगा। इसके अतिरिक्त एक करोड़ से अधिक के निविदा हेतु बैंक गारंटी जो निविदा के मान्य अवधि तक के लिये बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो, मान्य होगा।</p> <p>नोट :- ई-निविदा-पत्र www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।</p>					

हो/- मुख्य अभियंता, पटना।

